रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2015/भाद्र 10, 1937
No. 540] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2015/BHADRA 10, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 672(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 01.05.2015 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 351(अ), तारीख 01.05.2015 की अधिसूचना में पृष्ठ 2 की पंक्ति 7 में, "3. मूल नियमों में, प्ररूप 3" अंकों और शब्दों के स्थान पर "3. मूल नियमों में, प्ररूप 5" अंक और शब्द पढ़ें।

[सं. एस. 31018/1/2014-डब्ल्यूसी (पीडब्ल्यू)]

पी. पी. मित्रा, प्रधान श्रम और रोजगार सलाहकार

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 776, तारीख 30 नवंबर, 1956 को प्रकाशित किये गये थे और सा.का.नि 351(अ) तारीख 1 मई, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

3723 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.